वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों से गायब हो गईं 73 हजार वक्फ संपत्तियां

- पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, जांच के लिए एसआइटी गठित करने की मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज राज्य मंत्री रहे मोहसिन रजा ने कहा है कि प्रदेश में वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों से 73 हजार संपत्तियां गायब हो गईं हैं। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जिसमें इन संपत्तियों की जांच के लिए एसआइटी (विशेष जांच दल) गठित करने की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री से हुई भेंट में मोहसिन रजा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के शिया, सुन्नी वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों में सिर्फ 1,27,000 रजिस्टर्ड वक्फ दर्ज हैं, जबकि पहले यह संख्या दो लाख थी। कई संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की भी शिकायत की।

आरोप लगाया कि सपा व बसपा सरकारों ने वक्फ बोर्ड का आडिट नहीं कराया। संपत्तियों पर बिल्डरों, माफिया का कब्जा होने दिया। लखनऊ, अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, सहित कई जिलों में वक्फ संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। मोहसिन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है।

रक्षाबंधन पर चलेंगी अतिरिक्त बसें

परिवहन मंत्री ने दिए अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश में अतिरिक्त बसें संचालित करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा है कि 26 से 31 अगस्त तक अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाए। परिवहन निगम की शत प्रतिशत बसों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लोग रक्षाबंधन पर्व पर पूर्वी क्षेत्र के लिए अधिक यात्रा करते हैं। इसके चलते पूर्वी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराएं। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। सभी बसों व बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था बेहतर करने के लिए भी कहा गया है।

इस संबंध में एमडी परिवहन निगम प्रभु एन. सिंह ने सभी

26 से 31 अगस्त तक होगा संचालन, बस स्टेशनों पर होगी बेहतर व्यवस्था

क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता के हिसाब से दिल्ली से मुरादाबाद-बरेली होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन और दिल्ली से अलीगढ़-कानपुर होते हुए पूर्वी क्षेत्रों के लिए अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के वर्तमान संचालन को शिथिल किया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि पश्चिम के क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक बिंदुओं से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है तो सभी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित कर सकते हैं। इस अवधि में अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर बस संचालन से संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, चालकों, परिचालकों व अन्य कर्मचारियों को कोई भी अवकाश स्वीकृत न किया जाए। क्षेत्र में तैनात अधिकारी बिना अनुमति कार्यस्थल से अनुपस्थित नहीं रहेंगे, अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी अनुबंधित बसों को संचालित कराया जाए। एमडी के अनुसार पर्व अवधि में चालकों-परिचालकों व कर्मचारियों के लिए विभागीय प्रोत्साहन योजना भी प्रभावी रहेगी। चालक-परिचालक को छह दिनों में 1800 किलोमीटर का संचालन पूरा करने पर 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं संविदा चालकों-परिचालकों को इस अवधि में 1800 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अतिरिक्त किलोमीटर पर अतिरिक्त रूप से 55 पैसे प्रति किलोमीटर राशि दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण की 40 परियोजनाओं को एलओसी जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 40 परियोजनाओं को निवेश को लेकर लेटर आफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए गए हैं। इनमें पूर्वांचल व मध्यांचल की 21 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। पूर्वांचल में प्रयागराज, अमेठी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी व देवरिया में 10 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। प्रमुख परियोजनाओं में अमूल, आइटीसी व हल्दीराम की परियोजनाएं शामिल हैं।

नीट काउंसलिंग की तिथि 14 तक बढ़ी

- 29 हजार से अधिक अभ्यर्थी करा चुके अब तक पंजीयन

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: नीट यूजी-2026 के अंतर्गत मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की आनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अभी तक 29 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीयन करा चुके हैं। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में अभी 12,800 सीटें हैं। यानी एक सीट पर दो से अधिक दावेदार हैं।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा नेहा शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार आनलाइन पंजीकरण व अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया 13 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को अपराह्न दो बजे तक चलेगी। वहीं, पंजीकरण व धरोहर धनराशि जमा करने की प्रक्रिया 13 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर 14 को शाम पांच बजे तक चलेगी। अभी तक इसके लिए 12 अगस्त अंतिम तिथि थी। प्रदेश के कुछ कालेजों की मान्यता और सीट में बढ़ोतरी के आवेदन पर निर्णय होना शेष होने के चलते सीटों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

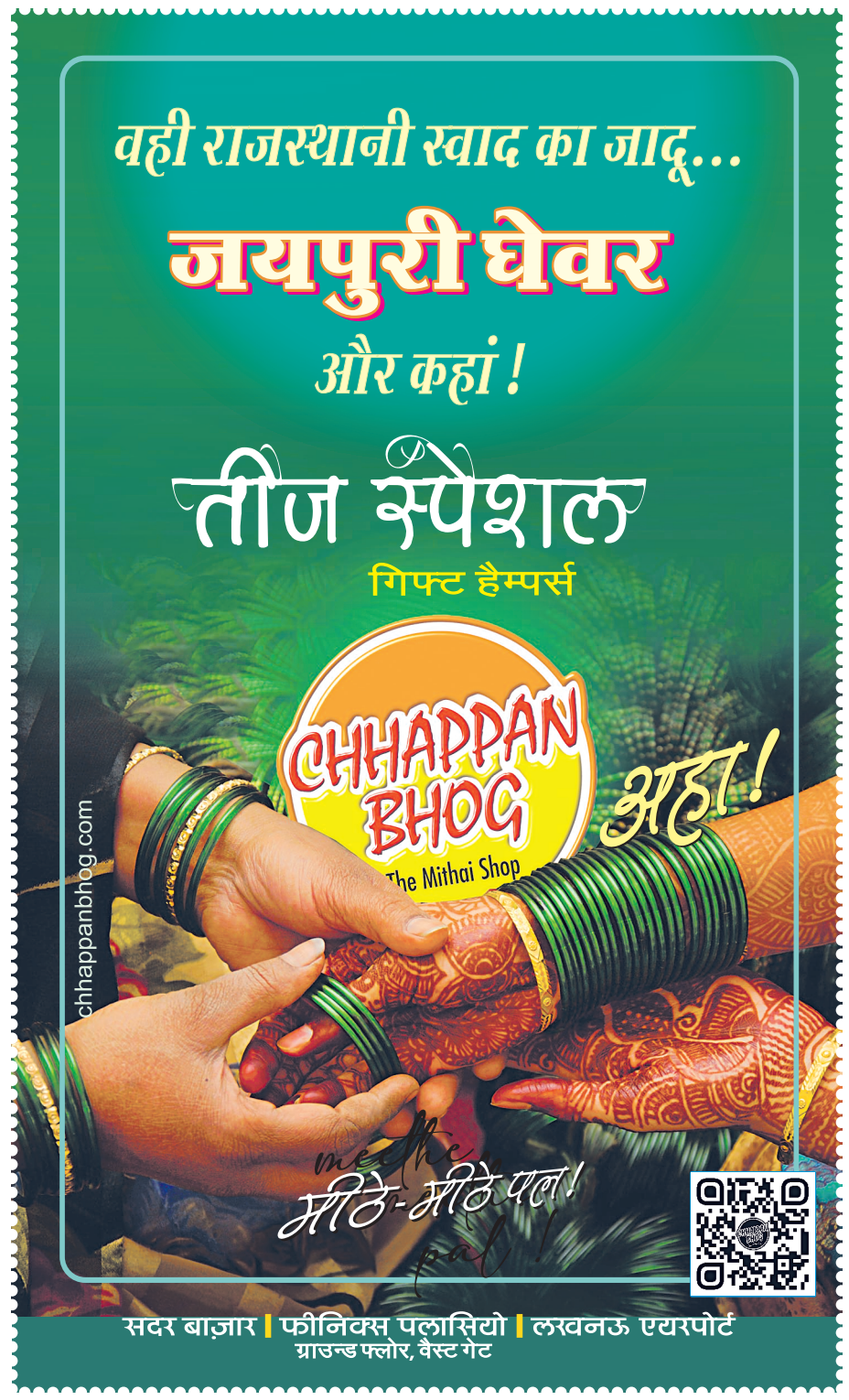

नोएडा में डाटा सेंटर के लिए अदाणी समूह को समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस देने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: नोएडा में डाटा सेंटर के लिए अदाणी एनर्जी साल्यूशंस स्टेप इलेवन लिमिटेड को अलग से समानांतर विद्युत वितरण का लाइसेंस देने की तैयारी है। प्रस्ताव को पिछले दरवाजे से बिजली के निजीकरण की कोशिश मानते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद विरोध कर रहे हैं। इनका का मानना है कि इससे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पांच अगस्त को आदेश जारी कर प्रस्तावित समानांतर लाइसेंस से संबंधित मसौदा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एक माह में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में अदाणी समूह ने भी विज्ञापन प्रकाशित कराया है। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा में एनआइडीपी को पहले ही डाटा सेंटर के लिए अलग विद्युत वितरण लाइसेंस दिया जा चुका है। अब नोएडा में अदाणी समूह के डाटा सेंटर के लिए भी वैसी ही व्यवस्था किए जाने से माना जा रहा है कि भविष्य में अन्य बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी समानांतर वितरण लाइसेंस का रास्ता खुल सकता है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि अदाणी समूह द्वारा समानांतर वितरण लाइसेंस के मामले में पहले भी विरोध दर्ज कराए जाने पर पूरा मामला वर्ष 2023 से विचाराधीन है। एक बार फिर डाटा सेंटर के लिए अलग वितरण लाइसेंस की प्रक्रिया सामने आने पर परिषद द्वारा उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए पैरवी की जाएगी। वर्मा का मानना है कि डाटा सेंटर के लिए समानांतर लाइसेंस देने से मौजूदा विद्युत वितरण व्यवस्था, वितरण कंपनियों के राजस्व और उपभोक्ताओं के हित सीधे प्रभावित हो सकते हैं।

लखनऊ में सरकारी स्नेक वेनम सेंटर बनेगा

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: सांप के काटने से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने और एंटी वेनम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी लखनऊ में गुजरात की तर्ज पर पहला सरकारी 'स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर' स्थापित किया जाएगा। केंद्र को महज सांपों का विष निकालने तक सीमित न रखते हुए इसे सर्प विष पर शोध, विष की क्षेत्रीय विविधता के अध्ययन और भविष्य में स्थानीय जरूरत के अनुरूप एंटी वेनम विकसित करने के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यह सेंटर लखनऊ के चिड़ियाघर या फिर राजधानी के कुकरैल क्षेत्र में बनाए जाने पर विचार चल रहा है।

इस सेंटर की स्थापना से पहले वन एवं वन्यजीव विभाग के चार अधिकारियों का उच्चस्तरीय दल 20 अगस्त को गुजरात के वलसाड स्थित स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेगा। इसी आधार पर लखनऊ में भी सरकारी स्नेक वेनम सेंटर के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां भी इसका संचालन वन निगम करेगा। वर्तमान में प्रदेश में सांपों का विष निकालने के लिए बाराबंकी में निजी क्षेत्र का एक केंद्र संचालित है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

शाखा एआरएमबी, लखनऊ
कपूरथला चौराहा, लखनऊ

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी जोकि पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, की धारा 13 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऋणियों को मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार मांग नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वार्णित धनराशि का भुगतान बैंक को करने की सूचना ऋणियों /जमानतकर्ता को दी गई थी। **ऋणियों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा ऋणियों/ उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दी गई सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है।**

ऋणियों को विशेष रूप से व जन साधारण को सामान्य रूप से एतदद्वारा विषयगत् सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और इस सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार पंजाब नैशनल बैंक के अधोवार्णित प्रभारों व देय ब्याज/ खर्चों के अधीन होगा।

ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र स.	खाता/ऋणी/बंधककर्ता/ का नाम व पता	प्रभारित/बंधक की गई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति से सभी संबंधित भाग व एवं हिस्सों सहित) का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि कब्जा नोटिस की तिथि बकाया शेष
1	**उधारकर्ताः मेसर्स न्यू रूही गारमेंट्स, प्रोपराईटर श्री सैयद अब्दुल रहमान,** दुकान संख्या–58, एलडीए मार्केट नक्खास लखनऊ–226003, **प्रोपराईटर श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र स्व. जलालुद्दीन, साथ ही स्व0 जलालुद्दीन के विधिक उत्तराधिकारी,** पता– 1. दुकान संख्या 58 एलडीए मार्केट नक्खास, लखनऊ 226003। पता– 2. मकान संख्या 292/74/1 रज़ा बिल्डिंग, नक्खास, लखनऊ 226003। **स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी, – 1. श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र स्व. जलालुद्दीन,** पता– 1. मकान संख्या 292/74/1 रज़ा बिल्डिंग नक्खास, लखनऊ 226003। पता– 2. दुकान संख्या 58 एलडीए मार्केट नक्खास, लखनऊ 226003। **2. सैयद मोहम्मद अबूबकर पुत्र स्व. जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी,),** पता– 1. फ्लैट संख्या ई–2, 37 कैंट रोड एफआई टावर, बार्लिंगटन चौराहा, लखनऊ 226001, पता– 2. **ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर , मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001** **3. अस्मा पुत्री स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी,),** पता–1. फ्लैट नंबर ई –2, 32 कैंट रोड बार्लिंगटन क्रॉसिंग, मेडवेल अस्पताल के पीछे लखनऊ 226001, पता–2. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर , मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001 **4. रूही सिद्दीकी पुत्री स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी), प**ता–1. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर , मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001, पता 2. : 30 पटवारी नई मस्जिद के पास बिजनौर लखनऊ 226002। **5. श्रीमती सरवर जहां पत्नी स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी,),** पता–1. 292/74/1 रजा बिल्डिंग नखास लखनऊ 226003। पता–2. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर , मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001, **खाता नं. 0266210037208 शाखाः 026620 लखनऊ (अब एआरएमबी लखनऊ–827200)**	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टॉवर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) स्थित 37, कैंट रोड, लखनऊ। कैसरबाग एवं बर्लिंगटन क्रासिंग के मध्य। **सम्पत्ति मालिक श्री जलालुद्दीन, पुत्र श्री हाजी असगर अली। क्षेत्रफल. 1200वर्गफीट (111.52 वर्ग मीटर)** (विक्रय विलेख नं. 1257 /04 बुक नं. 1 ज़िल्द संख्या 4169, पृष्ठ संख्या 157 से 198, पर दिनांक 04.02.2004 को पंजीकृत) चौहददी (डीड के अनुसार): उत्तरः मार्ग और फ्लैट संख्या ई–1, दक्षिणः हरमैन अस्पताल, पूर्वः गली, पश्चिमः लखनऊ पब्लिशिंग हाउस।	27.05.2026 समाचार पत्र में प्रकाशित– 08.06.2026 **11.08.2026** दि. **30-04-2026** को रू. **49,25,048.00** +सहित ब्याज दिनांक **01-05-2026,** से प्रभावी वं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो

दिनांक : **11.08.2026** स्थानः लखनऊ **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**

UPPCB उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टीसी-12वी, विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010

27 जून, 2012 से पूर्व स्थापित

ईंट भट्ठों

का विनियमितीकरण करवायें

उ0 प्र0 ईंट भट्ठा(स्थापना हेतु स्थल मापदंड)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026 के अंतर्गत 27 जून 2012 से पूर्व स्थापित ईंट भट्ठों को उ0प्र0 सरकार द्वारा उन्हें विनियमित किए जाने सम्बन्धी दी गयी सुविधा का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर

ऐसे सभी ईंट भट्ठाधारक आगामी फुकाई सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व **(30 सितम्बर, 2026 तक)** निवेश मित्र पोर्टल 3.0 (https://niveshmitra.up.gov.in) के माध्यम से संचालनार्थ सहमति (Consent to Operate - CTO) हेतु आवेदन अवश्य कर लें।

नियमावली सम्बन्धी अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा ई-मेल ceo6@uppcb.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त नियमावली एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के मोबाइल नम्बर बोर्ड की वेबसाइट (https://www.uppcb.up.gov.in) पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालय सीतापुर:
बीएसएनएल एक्सचेंज भवन, सीतापुर, उ.प्र.
फो. नं. 5862-246354 ईमेल:cositapurrecovery@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी **'जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो'** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) , बंधककर्ता(ओं) और जमानतकताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	(अ) शाखा का नाम / (ब) खाते का विवरण / (स) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 / ब) बकाया राशि / स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / द) कब्जा का प्रकार– रचनात्मक सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य / ब)धरोहर धनराशि / स) वृद्धिशील बिड धनराशि
	नोडल अधिकारी - श्री योगेश, मुख्य प्रबन्धक, मण्डल कार्यालय, सीतापुर, मो. : +91 9805004858			
	ई–नीलामी की तिथि व समय 24.09.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, धरोहर धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 23.09.2026			
1	**(अ) शाखा–गिलौला, श्रावस्ती (992000)** **(ब) मेसर्स मनीष ट्रेडर्स प्रोपराईटर श्री अनीश कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार गुप्ता, खाता संख्या 9920009300000169** **स) मेसर्स मनीष ट्रेडर्स प्रोपराईटर/बंधककर्ता– श्री अनीश कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार गुप्ता, जमानतकर्ता/बंधककर्ता– श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुशील कुमार गुप्ता** सभी का पता मोहल्ला तिलकपुर, पोस्ट ऑफिस गिलौला, तहसीलः इकौना, जिला श्रावस्ती 271835	1. साम्यिक बंधक अचल संपत्ति क्षेत्रफल 648.32 वर्ग मीटर स्थित गाटा संख्या 1178 का भाग, ग्राम तिलकपुर, परगना–बहराइच तहसील– इकौना, जिला– श्रावस्ती जोकि स्वामित्व श्री अनीश कुमार पुत्र सुशील कुमार गुप्ता और श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र सुशील कुमार गुप्ता के नाम विक्रय विलेख संख्या 15 दिनांक 01.01.2019 (प्लॉट क्षेत्रफल 283.64 वर्ग मीटर) एवं विक्रय विलेख संख्या 4555 दिनांक 22.10.2020 (प्लाट क्षेत्रफल 364.68 वर्ग मीटर), के द्वारा दोनों उप निबन्धक इकौना, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। चौहददी–(बिक्री विलेख संख्या 15 दिनांक 01.01.2019 के अनुसार) –उत्तर– विक्रेता की भूमि, दक्षिण– माधव राम का प्लाट, पूर्व– तिलकपुर से डुहरू तक सड़क, पश्चिम– विक्रेता की भूमि, बिक्री विलेख संख्या 4555 दिनांक 22–10–2020 के अनुसार)– उत्तर– माधवराम मिश्रा की आराजी, दक्षिण– विक्रेता की आराजी, पूर्व– तिलकपुर से बंतवारा रोड, पश्चिम– विक्रेता की आराजी, 2. साम्यिक बंधक अचल संपत्ति क्षेत्रफल 605.00 वर्ग मीटर स्थित गाटा संख्या 767 मि. का भाग, ग्राम एवं मौजा तिलकपुर, परगना तथा तहसील–भिनगा, जिला–श्रावस्ती जोकि श्री अनीश कुमार पुत्र सुशील कुमार गुप्ता के नाम विक्रय विलेख संख्या 2788 दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से उप निबंधक कार्यालय इकौना, श्रावस्ती में पंजीकृत है। चौहददीः उत्तर– राम कुमार की भूमि, दक्षिण– राम छबीले की भूमि, पूर्व– झिगुर की भूमि, पश्चिम– भिनगा से बहराइच तक सड़क, ।	अ) 12.02.2026 ब)रू. 1,14,84,487.74 +ब्याज दि. 01.01.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे जब तक कि पूर्ण भुगतान न हो, स)29.04.2026 द)सांकेतिक कब्जा	1–अ)रू. 59.31 लाख ब)रू.आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.50 लाख 2–अ)रू. 55.12लाख ब)रू.आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.50 लाख
2	**(अ) शाखा–लखीमपुर (101410)** **(ब) मेसर्स मेघा इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री राज किशोर गुप्ता खाता संख्या 10144011000646** **स) मेसर्स मेघा इंडस्ट्रीज प्रोप श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री राज किशोर गुप्ता,** देवकाली रोड, मोहल्ला गांधीनगर जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701., **श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री राज किशोर गुप्ता, श्रीमती सारिका गुप्ता पत्नी श्री मुकेश गुप्ता और श्री उत्कर्ष गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता,** सभी निवासी मोहल्ला अयोध्यापुरी, पब्लिक स्कूल के पास, तहसील लखीमपुर जिला खीरी, उत्तर प्रदेश 262701	गैर कृषि भूमि गाटा संख्या 303 का भाग पर, क्षे. 8473.50 वर्ग फुट या 787.50 वर्ग मीटर (0.07875 हेक्टेयर) स्थित ग्राम रंगीला नगर, तहसील लखीमपुर परगना और जिला खीरी, उत्तर प्रदेश जोकि बिक्री विलेख क्रमांक 16644 दिनांक 10.07.2023 को श्रीमती सारिका गुप्ता पत्नी श्री मुकेश गुप्ता के नाम उप निबन्धक कार्यालय सदर लखीमपुर खीरी में पंजीकृत है। चौहददी– पूर्व–जय प्रकाश की भूमि, पश्चिम–लिंक मार्ग 4 मीटर, उत्तर–मिश्री की भूमि, दक्षिण–अन्य की भूमि।	अ) 24.10.2025 ब)रू.51,07,089.46 +ब्याज दि.01.10.2025 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे जब तक कि पूर्ण भुगतान न हो, स)06.01.2026 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 16.72 लाख ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.20 लाख
	दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति –नीलामी की तिथि व समय 24.08.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक, धरोहर धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 23.08.2026			
3	**(अ) शाखा–एम जी मार्ग, हरदोई** **(ब)**श्रीमती अर्चना मिश्रा और श्री धीरेंद्र मिश्रा **खाता संख्या 364800NG00001258** **स) श्रीमती अर्चना मिश्रा पत्नी धीरेंद्र मिश्रा और श्री धीरेंद्र मिश्रा पुत्र कमलेश कुमार, दो**नों निवासी नया गांव हबीबपुर, डाकघर पूरा बहादुरपुर हरदोई 241001, **जमानतकर्ता श्री अमित कुमार द्विवेदी पुत्र श्री अरुण कुमार** निवासी ग्राम बहादुरनगर, जिला हरदोई 241407	दृष्टिबंधक सम्पत्ति :बंधक वाहन का विवरण वाहन का प्रकार : **Maruti Car ,** मॉडल/ निर्माता :**Wagon R VXI** पंजीकरण संख्या .:**UP30AY8998**	अ) 30.12.2021 ब)रू 3,50,926.07 दिनांक 30.06.2026 तक+ ब्याज, पेनल ब्याजं अन्य खर्चे आदि घटाकर द)भौतिक कब्जा	अ)रू. 2,47,000/- ब) आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.10 लाख
4	**(अ) शाखा–कछौना पटसेनी** **(ब) मनीष कुमार खाता संख्या 753100JT00000220** **स) मनीष कुमार प**ता 353, समसपुर खास भाग 2 कछौना, कछौना,, शमशपुर, अंडिला, हरदोई, कछौना पतसेनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश– 241126	दृष्टिबंधक सम्पत्ति :बंधक वाहन का विवरण वाहन का प्रकार : **Maruti Car ,** मॉडल/ निर्माता : **Dezire Tour S** पंजीकरण संख्या .: **UP32WN6506**	अ) 25.10.2025 ब)रू 5,47,862.41 दिनांक 27.06.2026 तक+ ब्याज, पेनल ब्याजं अन्य खर्चे आदि घटाकर द)भौतिक कब्जा	अ)रू. 3,69,000/- ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.10 लाख
5	**(अ) शाखा–बिलग्राम (410500),हरदोई)** **(ब)श्री शत्रुघन पुत्र श्री गिरजा शंकर खाता संख्या 410500NG00000618** **स) श्री शत्रुघ्न पुत्र श्री गिरजा शंकर, जमानतकर्ता श्री घनश्याम पुत्र गिरजा शंकर दोनों का पता ग्राम नेजपुर नेवादा, धंधामऊ, परगना और तहसील बिलग्राम, हरदोई 241301**	दृष्टिबंधक सम्पत्ति :बंधक वाहन का विवरण वाहन का प्रकार: **M/s Hyundai Motors India Ltd,** मॉडल/ निर्माता : **Grand 110 NIOS,** पंजीकरण संख्या .: **UP-30-BH-9163**	अ) एनपीए तिथि 31.03.2026 ब)रू. 1,77,600.18 दि. 30.06.2026 तक प्रभावी एवं अन्य खर्चे जब तक कि पूर्ण भुगतान न हो, द)भौतिक कब्जा	अ)रू. 3,40,000/- ब)रू. आरक्षित मूल्य का 10% स)रू. 0.10 लाख

प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण – कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्तें– बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी।

1. सम्पत्तियों की बिक्री **"जहाँ है जैसा है", "जैसा है वैसा है", "जो भी हो' और दायित्व रहित के** आधार **पर** की जायेगी। **2.** बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट **https://baanknet.com** पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** .में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 12.08.2026 स्थान सीतापुर **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार**